

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 106/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. पारस पिता गोकल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायणलाल पिता गोकल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पन्नालाल पिता गोकल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भंवरी पुत्री गोकल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भागु पुत्री गोकल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गणी पुत्री गोकल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. झमु बेवा गोकल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. धर्मा पिता मांगु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरा पिता मांगु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भागु पिता मांगु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लच्छु पिता रायमल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. छोगा पिता रायमल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बालु पिता रायमल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकर पिता नेनु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. छीतर पिता देवा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लेहरू पिता देवा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मुला पिता खमाणु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. छोगा पिता घीसा कुम्हार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारुख मोहम्मद —

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 17.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्कासगरेव तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1219 रकबा 0.09 हैक्ट. अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 336 पर स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने की वजह से पक्षकारान के दरमियान आपस में सीमा संबंधी विवाद पैदा होते रहते हैं। तथा प्रार्थीगण को

घास काटने में, फसल कास्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षी हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थी ने दिनांक 03.08.2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षी इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजियात के पड़ौसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 22.11.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः


आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1219 रकबा 0.09 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 100/- अक्षरे एक सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा